

24/11/2022

पत्रावली पैरा 3(3) बकील पत्रकारों हार्ड
 को आगे पत्रावली साक्ष्य बंद में किया जान
 है। बकील उभयपक्ष को न्यायालय में तमि
 लीम बापु आगे लवायु के बावजूद उपस्थित
 नहीं आने पर पत्रावली अंतर्गत 0-9 0-3 पर
 के तहत एल डू डरा खारिज की जाती है।
 पत्रावली कौंसल सुभाष की जाकर रिकॉर्ड से
 काम होकर साखिल इफ्तार से। निर्णय सुले
 न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे उत्तर
 व न्यायालय सुभाष से जारी किया गया।

